

उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना
 को प्रेषित की KCV द्वारा प्रस्तुत किया गया।
 जहाँ उपर्युक्त मिस ए प्रस्तुत किया है।
 जहाँ अधिकारी द्वारा डीन का है।
 निवृत्त/सुपार प्रो. पीस पर है।
 प्रतिवादी पक्ष को पूर्ण पता अवगत है।
 प्रतिवादी पक्ष को पर्याप्त सम्मन एवं पर्याप्त वाद की प्रति संलग्न की है।
 पर्याप्त हेतुक दर्शाया गया है।
 वाद पूरे के साथ नवीनतम/आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है।
 रिपोर्ट शोमन की सेवामें पेश है।

6-9-19

वाक रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जारी सम्मन तलब किया जाये। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 19-9-19 का पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 मनोहरथाना, जिला झालावाड़

15-9-19

पत्रावली पेश हुई। वकील वाकी अ. / प्रतिवादीगण की जाकी नही हुई है। पुनः तलबाना पेश करने पर जारी है। पत्रावली वाले वकील दिनांक 16-9-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 मनोहरथाना, जिला झालावाड़

16/10/19

पत्रावली पेश हुई। बार सच द्वारा हड़ताल/शोकसभा/आर्थिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य प्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 19-10-19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

19-11-19

पत्रावली पेश हुई। बार सच द्वारा हड़ताल/शोकसभा/आर्थिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य प्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 12/12/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

10/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वाकी अ. / वाकी पक्ष आर्थिक डिक्री जारी कि गई विभाजक पत्र है। आर्थिक डिक्री की प्रति वकील वाकी अ. को संलग्न का राजस्व मापन के निपम 18 से 21 अनुसार विभाजक पत्र रिपोर्ट का दिनांक 31-12-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 मनोहरथाना

3-20

पत्रावली पेश हुई। वकील वाकी अ. / पत्रावली में विभाजक पत्र अनुसूची अन्तिम डिक्री जारी कि गई अतः प्रम. पत्रावली में कोई कार्यवाही की जाये नहीं है। पत्रावली के साथ शूराह लेना वाप तामिल त्कामिल दाखिल व भर हो जयपुर से काम हो।

उपखण्ड अधिकारी
 मनोहरथाना